न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

109 / 2025

श्री पदम कुमार चौधरी पुत्र शिवपाल चौधरी निवासी ग्राम भौजपुरा पोस्ट फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **4.12.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 8.10.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. संपर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 05250823027663, 82507823880129 उक्त दोनों परिवादों की राजस्व विभाग नगरफोर्ट ने जाँच किस आधार पर की जबकि मौके पर धारासिंह मोग्या ने हरे जिओटेग पेड-पोधो को नष्ट करके नया अतिक्रमण भी किया है।

2. उक्त दोनों परिवाद में विभाग द्वारा बताया गया है की चरागाह का सीमाज्ञान करवाकर तारबंदी करवा रखी है क्या 2024 में लगे जिओ टेग हरे पोधो की ग्राम पंचायत फूलेता ने तारबंदी करवा रखी है यदि हा तो पंचायत से लिखित आदेश और यदि नहीं तो विभाग ने जूठी रिपोर्ट क्यों।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2210 दिनांक 19.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 1144 दिनांक 30.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी संपर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 948 दिनांक 13.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी संपर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके पत्र क्रमांक 8804 दिनांक 31.10.2025 से अपीलाथी को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी संपर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

753